राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1957/2010/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रीति सुपारी कम्पनी,
गोलबाग पैलेस रोड़, भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 11.01.2018

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 56/उपा–अपील्स/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 सपठित धारा 58 व 65 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.05.2008 में आरोपित की गई मांग राशि को अपास्त करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर दिनांक 02.04.2008 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण व्यवसाय स्थल पर सुपारी व कन्फेक्शनरी का व्यवसाय किया जा रहा था लेकिन व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर नहीं पायी गई। व्यवसायी का वर्ष 2005–06 हेतु नियमित कर निर्धारण पूर्व में ही दिनांक 01.08.2006 को किया जा चुका था। जिसमें सुपारी की बिक्री रूपये 17,27,620/– कन्फैक्शनरी की बिक्री 72600/– पर करारोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवसायी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किये गये एक वाद सी.एस. (ओ.एस.) संख्या 644/2007 में वर्ष 2004–05 में कन्फैक्शनरी का कुल टर्नओवर रूपये 1727620/– घोषित किया हुआ है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी उक्त बिक्री को विवरण पत्रों में प्रदर्शित नहीं करने के उक्त बिक्री को कन्फैक्शनरी की मानकर अधिनियम की धारा 30 के तहत छूटी हुई बिक्री मानकर (रूपये 1727620 – 72600) 1655020 पर कर रूपये 148952 व धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 297904 व धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 46175/– आरोपित किया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.02.2010 से अपील स्वीकारते हुए प्रतिप्रेषित की, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 26.03.2012 को पारित कर दिया।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए सूचित किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलीय आदेश दिनांक 03.02.2010 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 26.03.2012 को पुनः आदेश पारित कर दिया है। चूंकि व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना हो जाने से अस्तित्व में नहीं रही हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील आदेश की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के तथ्य को सही माना है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत तथ्यों पर गौर किया गया।

7. रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दि. 03.02.2010 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 26.03.2012 द्वारा कर दिया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम मोहित ट्रेडर्स के प्रकरण में **(25 टैक्स अपडेट 59) दिये गये निर्णय का सन्दर्भित अंश उल्लेखनीय है, जो कि निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में चूंकि अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में दिनांक **26.03.2012** को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

9. परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती है।

10. निर्णय प्रसारित किया गया ।

11.01.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य